बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

आदेश

आदेश संख्या–12प/जि०प०लो०प्र०–05–04/2026/388/पं०रा० पटना, दिनांक 15/7/2026

उप निदेशक, पंचायती राज, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–78 दिनांक 14.02.2026 के माध्यम से वाद सं०–05/2025 में लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित आदेश की प्रति विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

2. उक्त आदेश में लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा **श्रीमती अदिती कुमारी**, अध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतामढ़ी को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–72(1) के प्रावधान का उल्लंघन किये जाने का दोष सिद्ध होने तथा अध्यक्ष के रूप में अपेक्षित कर्त्तव्यों एवं कृत्यों के निर्वहन से इन्कार एवं जानबूझ कर उपेक्षा करने के कारण अधिनियम की धारा–70(5) के अन्तर्गत अध्यक्ष पद से पदच्यूत करने की अनुशंसा की गयी है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–152(5) के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं सुनवाई लोक प्रहरी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। इस प्रावधान के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–11251 दिनांक 23.11.2022 द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अगले आदेश तक अपने–अपने जिले के लिए लोक प्रहरी घोषित किया गया है।

3. श्रीमती अदिती कुमारी, अध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतामढ़ी के विरूद्ध श्रीमती संजना देवी, उपाध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतामढ़ी द्वारा जिला परिषद् की सामान्य बैठक एवं स्थायी समिति के सामान्य, वित्त, अंकेक्षण एवं योजना समिति की बैठक प्रावधानानुसार आहूत नहीं करने का आरोप लगाया गया है।

4. उक्त आरोपों के आधार पर लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–7653 दिनांक 18.05.2026 एवं पत्रांक–7991 दिनांक 22.05.2026 द्वारा अपना–अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी अध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतामढ़ी एवं वादी श्रीमती संजना देवी, उपाध्यक्ष, जिला परिषद् को नोटिस निर्गत किया गया। उक्त नोटिस के आलोक में विद्वान अधिवक्ता के साथ आरोपित जिला परिषद् अध्यक्ष एवं वादी, उपाध्यक्ष सुनवाई में उपस्थित हुई।

5. सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती संजना देवी, उपाध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतामढ़ी द्वारा लगाये गये आरोपों के संदर्भ में उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि LPA NO-679/2008 सुनैना देवी बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–22.03.2010 को आदेश पारित कर बैठक नहीं बुलाने के आधार पर अध्यक्ष का पद

से हटाने का आदेश पारित किया गया है। अध्यक्ष, जिला परिषद द्वारा स्वयं ही इस बात को स्वीकार किया गया है कि निर्वाचन से अबतक इनके द्वारा मात्र 06 बैठक ही किया गया है, जो इन्हे पद से हटाने के लिए पर्याप्त है। यह भी उल्लेख है कि स्थायी समिति का गठन बिना निर्वाचन के अवैध रूप से 28 सदस्यों की उपस्थिति में किया गया है, जो नियम का उल्लंघन है।

6. इस संदर्भ में श्रीमती अदिती कुमारी, अध्यक्ष, जिला परिषद् के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन का सार निम्नवत् है :–

वादी श्रीमती संजना देवी, उपाध्यक्ष, जिला परिषद का यह कहना कि अध्यक्ष द्वारा बैठक आहूत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, ये आधारहीन है। जनवरी, 2022 से मार्च 2025 तक कुल 6 सामान्य बैठक की गयी है। बैठक निर्धारित संख्या में नहीं होने के कई कारण है जैसे उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का स्थानांतरण, विधान सभा का चुनाव तथा जिला परिषद् के सदस्यों के अनुरोध पर बैठक को टाला गया है, जिसका साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध है। LPA NO-679/2008 सुनैना देवी बनाम स्टेट ऑफ बिहार का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि उक्त वाद में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–72 (1) के तहत परिवादी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। वादी द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि स्थायी समितियों के गठन में निर्वाचन की पद्धती को नहीं अपनायी गयी है। इस संदर्भ में उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा इस बात की दिनांक–04.06.2022 को आहूत बैठक में कुल 32 सदस्य उपस्थित हुए एवं उपस्थिति पंजी पर उनके द्वारा अपना हस्ताक्षर अंकित किया गया। उक्त बैठक के कार्यवाही पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बैठक में कुछ सदस्यों द्वारा ससमय नोटिस ना मिलने से संबंधित विरोध जताते हुए बैठक से वॉक आउट किया गया। पश्चात बाकी सदस्यों द्वारा निर्विरोध रूप से समितियों का सदस्य चुना गया एवं उक्त पृष्ठों पर कुल 28 जिला परिषद् के सदस्यों का हस्ताक्षर है।

7. सुनवाई के क्रम में उभय पक्षों को सुनने एवं प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन तथा परिशीलन एवं विवेचन से निम्न तथ्य परिलक्षित हो रहा है :

अध्यक्ष, जिला परिषद के विरूद्ध आरोप है कि इनके द्वारा स्थायी समिति का गठन बिना किसी निर्वाचन के किया गया है, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 77 का उल्लंघन है।

8. इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक–433, दिनांक–14.02.2026 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक–04.06.2022 की बैठक पंजी के अवलोकन से यह विदित होता है कि बैठक में कुल 32 सदस्य उपस्थित हुए एवं उपस्थिति पंजी पर उनके द्वारा अपना हस्ताक्षर किया गया है। उक्त बैठक के कार्यवाही पंजी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बैठक में कुछ

सदस्यों द्वारा ससमय नोटिस नहीं मिलने से संबंधित विरोध जताते हुये बैठक से Walkout किया गया। तत्पश्चात शेष सदस्यों द्वारा समितियों का सदस्य चुना गया एवं उक्त पृष्ठों पर कुल 28 जिला परिषद सदस्यों का हस्ताक्षर है।

9. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–77 में उल्लेखित है कि जिला परिषद अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिये निर्वाचन द्वारा समितियां गठित करेगी। जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक–04.06.2022 को आहुत बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से समिति के सदस्यों को निर्वाचित किया गया है। ऐसी स्थिति में मत विभाजन की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होने के कारण निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है। चूकि अधिनियम में निर्वाचन की रिति का उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए सदस्यों के निर्वाचन में अपनायी गयी प्रक्रिया के संबंध में कोई भी टिप्पणी उचित नहीं होगा। अतः इस आरोप के आधार पर अध्यक्ष के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना उचित नहीं होगा।

10. प्रस्तुत वाद में अध्यक्ष, जिला परिषद, सीतामढ़ी को पदच्युत करने की अनुशंसा का आधार लोक प्रहरी द्वारा प्रमुख रूप से एक आरोप को बनाया गया है, जो निम्नवत् है :

"श्रीमती अदिति कुमारी, अध्यक्ष जिला परिषद, सीतामढ़ी, दिनांक–27.12.2021 को आयोजित बैठक में जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में चयनित की गई। उनके चयन से अबतक कुल 17 बैठको का आयोजन किया जाना चाहिये था, जिसमे इनके द्वारा आम सभा की कुल 07 बैठकें ही आयोजित की गई हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा 72 (1) के अनुसार यह प्रावधान है कि प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार जिला परिषद की सामान्य बैठक होना अनिवार्य है तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा–69 (1) (क) के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाना जिला परिषद अध्यक्ष का दायित्व है। श्रीमती अदिति कुमारी, अध्यक्ष जिला परिषद, सीतामढ़ी, के द्वारा इस दायित्व का निवर्हन नहीं किया जा सका है।'

11. उपर्युक्त के संदर्भ में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 72(1) का परिशीलन किया जाना आवश्यक हो जाता है। अधिनियम की धारा 72(1) निम्नवत् है :

"जिला परिषद, सम्बद्ध जिले की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत ऐसे समय में और ऐसे स्थान में, जैसा कि जिला परिषद अपनी पूर्ववर्ती बैठक के तुरंत बाद नियत करे, प्रत्येक तीन माह में कम–से–कम एकबार बैठक का आयोजन करेगी।

परन्तु किसी नवगठित जिला परिषद् की पहली बैठक का आयोजन संबद्ध जिले की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत ऐसे समय में और ऐसे स्थान में किया जायेगा जैसा कि जिला दंडाधिकारी नियत करे और उसकी अध्यक्षता उनके द्वारा की जायेगी।

परन्तु यह और कि, जब जिला परिषद् के सदस्यों का पांचवा भाग बैठक आयोजित करने के लिए लिखित रूप में अपेक्षा करे तब अध्यक्ष वैसी बैठक दस दिनों के भीतर आयोजित करेगा। ऐसा नहीं करने पर पूर्वोक्त सदस्य जिला दंडाधिकारी को जानकारी देकर तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पूरे सात दिनों की सूचना देकर बैठक आयोजित कर सकेंगे।"

12. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष, जिला परिषद 3 माह में कम से कम एक बार सदन की बैठक आयोजित करेगा। इसी धारा के अंतिम परन्तुक में यह भी प्रावधानित है कि यदि ऐसी बैठक अध्यक्ष द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है तो सदन के 1/5 सदस्य अध्यक्ष को आवेदन देकर बैठक आयोजित करने का अनुरोध कर सकते है तथा इस स्थिति में भी बैठक आयोजित नहीं होने पर जिला पदाधिकारी को इसकी सूचना देकर बैठक आयोजित करवाया जा सकता है।

13. प्रस्तुत अभिलेख एवं संलग्न साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई है परंतु निर्धारित संख्या में बैठक नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट होता है कि अध्यक्ष द्वारा बैठक की तिथि निर्धारित किया गया था परंतु एक मामले में सदस्यों द्वारा ही अध्यक्ष को आवेदन देकर बैठक को स्थगित करने हेतु अनुरोध किया गया तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर व्यस्तता का उल्लेख कर बैठक अन्य तिथि/माह में आयोजित करने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष द्वारा सहमति प्रदान किया गया है। साथ ही अध्यक्ष द्वारा पत्रांक–16, दिनांक–20.05.2025 तथा पत्रांक–24, दिनांक–08.09.2025 के द्वारा भी बैठक आयोजित किए जाने हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है।

14. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसी प्रावधान के अंतिम हिस्से में यह विशेष रूप से प्रावधानित है कि यदि बैठक करना अतिआवश्यक हो जाए एवं अध्यक्ष द्वारा ससमय सामान्य बैठक आहूत नहीं की गई है तो 1/5 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को बैठक आहूत करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है। इस परिस्थिति में भी यदि बैठक आहूत नहीं की जाती है तो जिला पदाधिकारी को बैठक आयोजित करने हेतु सूचित किया जा सकता है, परंतु इस मामले में किसी भी सदस्य के द्वारा उक्त प्रावधान के तहत बैठक आहूत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इससे यह माना जा सकता है कि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई होगी जिस कारण जिला परिषद की बैठक तुरंत कराया जाना आवश्यक हो। इस क्रम अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा सामान्य रूप से नियमित बैठक आयोजित किये जाने हेतु कई मौकों पर प्रयास किया गया है, परंतु अपरिहार्य कारणवश बैठक आयोजित नहीं किया जा सका। इन तथ्यों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अध्यक्ष द्वारा जानबूझकर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है।

अतः **श्रीमती अदिती कुमारी**, अध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतामढ़ी के विरूद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–70(5) के तहत कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वाद की कार्यवाही समाप्त कि जाती है।

प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 12प/जि०प०लो०प्र०–05–04/2026/10533**/पं०रा०** पटना दिनांक 15/7/26
प्रतिलिपि : श्रीमती अदिती कुमारी, अध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 12प/जि०प०लो०प्र०–05–04/2026/10533**/पं०रा०** पटना दिनांक 15/7/26
प्रतिलिपि : लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सीतामढ़ी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 12प/जि०प०लो०प्र०–05–04/2026/10533**/पं०रा०** पटना दिनांक 15/7/26
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 12प/जि०प०लो०प्र०–05–04/2026/10533**/पं०रा०** पटना दिनांक 15/7/26
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

(मनोज कुमार)
सचिव